निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में इस प्रकार के विस्थापित व्यक्ति परिवारों की संख्या 8994 है । इन में से 8628 परिवार सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे है ।

(ख) और (ग) जैसे ही पाकिस्तान में स्थिति में सुधार हो जाएगा ये विस्थापित व्यक्ति सुरक्षा तथा सम्मान सहित पाकिस्तान लौटने के हकदार है । इसलिए उनके स्थायी पुनर्वास के लिए योजनाए तैयार नहीं की गई हैं । इनमें से किसी को भी राजस्थान नहर के कमांड क्षेत्र में आने वाली भूमि आवंटित नहीं की गई है । फिर भी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाए विचाराधीन है ताकि वे अनिश्चित काल तक शिविरों में न रहते रहें ।

इस बीच इन्हें शिविरों में राहत सहायता दी जा रही है । जो शिविरों से बाहर रह रहे है यदि वे शिविरों में प्रवेश ले लें तो वे भी राहत सहायता प्राप्त कर सकते है ।

इन विस्थापित व्यक्तियों को शिविरों में राहत सहायता देने के लिए राजस्थान सरकार को अब तक 8 91 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है ।

objectives of allotment of houses by DDA

5. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the basic objectives of allotment of houses by D.D.A.;

(b) whether the policy for allotment is heavily weighted in favour of those with good financial resources who are able to pay the whole or a major portion of the cost as cash down; and

(c) if so, whether the policy conforms in letter and spirit to the basic objectives?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) To relieve the shortage of housing in Delhi for middle income, low income, janata and community service personnel by constructing houses at reasonable prices.

(b) DDA has been offering flats both on cash down and hire purchase basis since 1966-67. In 1976, however, in order to increase the pave of construction and generate resources, preference was given to persons who paid in cash the entire amount, 75 per cent of the amount, 50 per cent of the amount and so on in that order and the balance in instalments.

(c) No. The policy is under review.

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के लिए नागरिक सुविधाएं

6. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ क्षेत्र दिल्ली में उन बस्तियों के नाम क्या हैं, जिन्हें अनधिकृत कहा जाता है और उन्हें नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या नई आवास नीति के अनुसार जिन अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया जाना है, उनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ग) नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए स्थानीय संस्थाओं ने क्या कार्यवाही की है और उन बस्तियों के नाम क्या

हैं, जिनकी ओर इस बारे में अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अनधिकृत कालोनियों की सूची सभा पटल पर रख दी गयी है । (**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** LT-295/77) । सरकार के द्वारा फरवरी, 1977 में निर्धारित नीति के अनुसार अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण तथा विकास की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय क्रियान्वयन निकाय गठित कर लिया गया है ।

(ख) और (ग) फरवरी, 1977 को क्रियान्वित करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम को निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के द्वारा जो भी सुविधाएं सम्भव हैं वे दी जा रही हैं । दिल्ली नगर निगम ने 32 अनधिकृत कालोनियों में पानी के मेन डाल दिये हैं । और फिर वर्तमान नीति के अनुसार दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान के द्वारा गैर मजूरशुदा कालोनियों में प्रवर्तकों/निवासी कल्याण संस्थाओं के विशेष अनुरोध पर सामान्य विद्युतीकरण किया जा रहा है बशर्ते सामान्य व्यापारिक औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं । जिन कालोनियों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है उनके नाम एकत्र किए जा रहे हैं ।

निर्माण और आवास तथा संचार मंत्रालयों को गृह निर्माण समिति के नए सदस्यों को भूमि का आवंटन

7. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास तथा संचार मंत्रालयों की गृह निर्माण समिति के उन कुछ सदस्यों की सदस्यता, जो वित्तीय कठिनाई के कारण समय पर भूमि की लागत की किश्त नहीं चुका सके थे, समाप्त कर दी गई थी और उनके स्थान पर बनाये गये नये सदस्यों को भूमि आबंटित की गई थी;

(ख) क्या सरकार का विचार पुराने शेयरधारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपना कर उन्हें भूमि की लागत का भुगतान करने का अवसर देने का है; और

(ग) उन पुराने शेयरधारियों को, जो समिति की स्थापना के समय से इसके सदस्य रहे हैं, दस अथवा पन्द्रह वर्ष बाद बने नये सदस्यों की तुलना में न्याय देने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) संभवतः माननीय सदस्य निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय सहकारी गृह निर्माण समिति लि० की सदस्यता के बारे में पूछ रहे हैं । यदि ऐसा है तो उत्तर हां में है ।

(ख) जी, नहीं । सहकारी समिति अधिनियम, नियमों तथा उप नियमों के अधीन इन सभी मामलों पर विचार करना समिति की प्रबन्ध कमेटी का काम है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति के विरुद्ध शिकायतें

8. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय (राजस्थान) के उपकुलपति के विरुद्ध सरकार को भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;